राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010 दिनांक - 5 JUN 2020

अधिसूचना

इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)न्याय/90 दिनांक 30.01.1990 में आंशिक संशोधन करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार, एतद्द्वारा जयपुर में स्थित विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर का नाम परिवतित् करते हुए विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम निर्धारित् किया जाता है एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2, जयपुर महानगर द्वितीय के न्यायालय को भी विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर-।। के रूप में निम्नानुसार गठित् करते हुए क्षेत्राधिकार निर्धारित् करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	4	
1.	विशिष्ठ न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम	जयपुर	जयपुर राजस्व जिला (न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-।। के अधीन आने वाले क्षेत्र को छोडकर)
2.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 2, जयपुर महानगर-द्वितीय	जयपुर	न्यायक्षेत्र जयपुर महानगर-।। के अधीन आने वाला क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,
5.6.2020
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, ज़ोधपुर।

6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।

7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।

8. जिला कलक्टर/ पुलिस आयुक्त, जयपुर।

9. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम एवं जयपुर महानगर द्वितीय।

10. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।

11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

12. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट एवं ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेतु।

14. रक्षित पत्रावली।

5-6-2020

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव